न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय निवासी Q-3 गोविन्द नगर, हाऊसिंग बोर्ड, धोईन्दा, जिला राजसमन्द **— अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सरदारगढ़ **— प्रत्यर्थी**

किस्म मुकंदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 113 / 2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 03.02.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सरदारगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सरदारगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सरदारगढ़ से क्रमांकः भू.अ./ rti/2025/05 दिनांक 16.01.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी अपीलान्ट श्री सुनील कुमार विजयवर्गीय निवासी क्यु-3, गोविन्द नगर, हाऊसिंग बोर्ड, धोईन्दा, जिला राजसमन्द द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं कराने बाबत् श्रीमान का प्रथम अपील नोटिस प्राप्त हुआ। प्रार्थी अपीलान्ट का आवेदन पत्र आरटीआई ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 22.10.2024 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 01 से 09 तक की सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक लो.सू.अ. /2025/04 दिनांक 03.01.2025 से प्रार्थी को उपलब्ध कराया गया एवं अदेय सूचना को उत्तर देकर सूचित किया गया। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.01.25 को एक पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी अपीलान्ट को अब इन सूचनाओं की आवश्यकता नहीं है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सरदारगढ़ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सरदारगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचनाएं बिन्दु संख्या 01 से 09 तक की सूचना के संबंध लो.सू.अ. तहसीलदार सरदारगढ़ के पत्रांक लो.सू.अ./2025/04 दिनांक 03.01.2025 से प्रार्थी को सूचित कर दिया जाने एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी को वांछित सूचनाओं की आवश्यकता नही होने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार सरदारगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)